संख्या-46 /2023/ I/295034/2023/003-71-2099-39-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

विषयः- के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में ट्राजिट नर्सेज हास्टल की निर्माणाधीन परियोजना के पुनः पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4434/योजना अनु0/2022, दिनांक 01.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माध्यम से के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में निर्माणाधीन ट्राजिट नर्सेज हास्टल की पुनः पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-58/2021/ 1/69161/2021-71-2099/495/2021, दिनांक 25 नवम्बर 2013 द्वारा रू0 8622.42 लाख की मूल्यांकित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-37/2020/336/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-17/2013, दिनांक द्वारा 26 मार्च 2020 के द्वारा प्रायोजना की प्रथम पुनरीक्षित लागत रू0 12760.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अब तक कुल रू0 12122.68 लाख अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत हैः-

वर्ष	शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत धनराशि
2013-14	4667/71-13-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 20.11.2013	2000.00
2016-17	29/2017/706/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 23.03.2017	1449.00
2017-18	31/2018/863/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 05.03.2018	1462.00
	32/2018/896/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 05.03.2018	263.00
	51/2018/1060/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 16.03.2018	428.39
	52/2018/1060/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 16.03.2018	271.61

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2018-19	14/2019/270/71-2-19-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 25.02.2019	1000.00
2019-20	15/2019/331/71-2-19-के0जी0एम0यू0-89/2013 दिनांक 25.02.2019	1000.00
	38/2020/777/71-2-20-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 27.03.2020	2500.00
2022-23	56/2022/आई0/167710/2022/001-71-2099-39-2021, दिनांक 19.05.2022	1748.68
	योग	**12122.68**

3- व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.01.2023 की संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में ट्राजिट नर्सेज हास्टल की निर्माणाधीन परियोजना के पुनः पुनरीक्षित लागत रू0 13590.88 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

4- उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में ट्रांजिट नर्सेस हास्टल के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित परियोजना की चतुर्थ किश्त की अवशेष धनराशि रू0 788.66 लाख (अनुदान संख्या- 31 से रू0 623.04 लाख एवं अनुदान संख्या- 83 से रू 0 165.62 लाख) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. प्रायोजना का भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।
2. जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा कार्यदायी संस्था् द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रयोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
3. प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट, ट्रांसफार्मर, वीसीबी पैनल एवं कैपेसिटी बैंक की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी थी। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस् प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
4. पुनः पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रायोजना की आंकलित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को आंकलित किया गया है। जिसका समस्त उत्तरदायित्व कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 /कार्यदायी संस्था को होगा।
5. कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वपविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव की होगी।
6. कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नागत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है एवं इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की गयी है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छातदित किया जाना प्रस्तावित है।

7. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा। बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव की होगी।
10. लागत में परिवर्तन के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
11. प्रश्नागत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-58/2021/ 1/69161/2021-71-2099/495/2021, दिनांक 25 नवम्बर 2013 एवं शासनादेश संख्या-37/2020/336/71-2-2020-के0जी0एम0यू0-17/2013, दिनांक द्वारा 26 मार्च 2020 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध् यथावत रहेंगे।
13. वित्त विभाग के वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231 /2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
14. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी अशासकीय संख्या-ई-3-6-628/दस-2022-23, दिनांक 28.03.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 6,23,04,000 (रुपये छह करोड़ तेईस लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,65,62,000 (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231 /2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-46 /2023/।/295034/2023/003-71-2099-39-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सात शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ यूनिट-10
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।